



हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड

[CIN L99999MH1960GOI011895]

पंजीकृत कार्यालय: 401, 402, 403, चौथा तल वी टाइम्स स्क्वेयर, प्लॉट सं 3 सेक्टर 15, सीबीडी बेलापुर नवी मुंबई
ठाणे महाराष्ट्र 400614 भारत

सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी के सदस्यों की 59वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सोमवार दिनांक 28 सितंबर, 2020 को दोपहर 2.00 (समय) बजे निम्नलिखित कार्य निपटने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/ अन्य श्रव्य दृश्य साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से संपन्न होगी :-

सामान्य कारोबार :

1. स्टैंडअलोन तथा समेकित लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों जिसमें 31 मार्च, 2020 को तुलन-पत्र, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण, नकद प्रवाह विवरण, अनुसूचियाँ और उसके साथ संलग्न लेखाओं पर टिप्पणियाँ शामिल है तथा निदेशकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की रिपोर्ट सहित लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करना तथा स्वीकार करना।
2. सुश्री अल्का तिवारी (डीआईएन: 03502306), ए एस एण्ड एफ ए को भारत सरकार के आदेशानुसार पुनः नियुक्त करना जो इस वार्षिक आम बैठक पर सेवानिवृत्त हो जाएगी और पात्र होने के फलस्वरूप पुनःनियुक्ति के लिए अपने आप को प्रस्ताव देना।
3. भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में सर्वश्री बीएसजे एंड एसोसिएट, कोची (फर्म पंजीकरण सं एसआर 1972) की नियुक्ति को नोट करना और भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त सर्वश्री बीएसजे एंड एसोसिएट,कोची को सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क के रूप में भुगतान किए जाने हेतु 3,00,000/- रुपए के पारिश्रमिक का अनुमोदन करना और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों को देय अन्य लेखापरीक्षा शुल्क यदि कोई हो तो, तय करने की कंपनी के निदेशक मंडल की कार्यवाही को प्राधिकृत करना और अभिपुष्टि करना और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक सर्वश्री बीएसजे एंड एसोसिएट, कोची को देय सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क 2,00,000/- रुपए से 3,00,000/- रुपए में बढ़ाने के लिए निदेशक मंडल का अनुमोदन नोट करना।

विशेष कारोबार

4. कंपनी के लागत लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के लागत लेखापरीक्षकों के रूप में मैसर्स सी वाई एंड एसोसिएट्स, लागत लेखाकार, मुंबई (फर्म पंजीकरण सं 000334) को दिए जानेवाले पारिश्रमिक पर विचार और अनुसमर्थन करना और अगर उपयुक्त समझे तो निम्नलिखित संकल्प को सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना :
"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, तथा कंपनियों (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षकों) नियम, 2014 के अनुसरण में, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के लागत लेखापरीक्षकों के रूप में सर्वश्री सी वाई एंड एसोसिएट्स, लागत लेखाकार, मुंबई (फर्म पंजीकरण सं 000334) को कंपनी के लागत लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा के लिए और तत्संबंधी अनुपालन प्रमाणपत्र (त्रों) को जारी करने और वर्ष 2020-21 के लिए लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट देने और 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में कंपनी के लिए कोची यूनिट के उत्पादों के संबंध में एक्सबीआरएल ई-फोर्म्स संबंधी लागत लेखापरीक्षा रिपोर्टों के ई-फाइल कार्य में मदद के लिए कुल शुल्क ₹ 50,000/- और जीएसटी के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन कंपनी एतदद्वारा करती है।

हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के

बोर्ड के आदेश द्वारा

हस्त/-

(सुशीला एस कुलकर्णी)

कंपनी सचिव

(एफसीएस 5145)

स्थान: सीबीडी बेलापुर

दिनांक:13/08/2020

पंजीकृत कार्यालय:

401,402,403,चौथा तल, वी टाइम्स स्क्वेयर प्लॉट सं 3

सेक्टर 15,सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई, ठाणे महाराष्ट्र 400614 भारत

टिप्पणियाँ :

1. कोविड-19 महामारी बने रहने के मद्देनजर, कॉरपोरेट मामले मंत्रालय ("एमसीए") ने दिनांक 05 मई, 2020 के अपने परिपत्र जिसे 13 अप्रैल, 2020 और 08 अप्रैल, 2020 के परिपत्रों (सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्रों" के रूप में संदर्भित है), के साथ पढ़ा जाना है, द्वारा एक सामान्य स्थान पर भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फेरेंस/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") आयोजित करने की अनुमति दी है। कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम"), सेबी (सूचीकरण बाध्यताओं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमों, 2015 ("सेबी सूचीकरण विनियमों") और एमसीए परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में, एजीएम को वीडियो कॉन्फेरेंस/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए, कंपनी द्वारा सीडीएसएल के साथ आवश्यक व्यवस्था की गई है और वीडियो कॉन्फेरेंस/ओएवीएम के माध्यम से आगामी एजीएम में उपस्थित होने और भाग लेने के संबंध में पालन करने की कार्यविधि के लिए अनुदेश इस नोटिस का हिस्सा है।
2. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, एजीएम में भाग लेने और वोट करने के लिए हकदार एक सदस्य को उसकी ओर से उपस्थित होने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार है और प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि यह एजीएम वीडियो कॉन्फेरेंस/ओएवीएम के माध्यम से एमसीए परिपत्रों के मुताबिक आयोजित की जा रही है, सदस्यों की भौतिक उपस्थिति अनावश्यक बना दी गयी है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए प्रॉक्सी फॉर्म, उपस्थिति पर्ची इस सूचना के साथ संलग्न नहीं हैं।
3. वीडियो कॉन्फेरेंस के माध्यम से सदस्यों की भागीदारी की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अनुसार एजीएम के कोरम के प्रयोजनार्थ की जाएगी।
4. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) को संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन की गई प्रतिलिपि (पीडीएफ/जेपीजी फ़ारमैट) भेजने की आवश्यकता है, इसके साथ अपने प्रतिनिधि को अपनी ओर से वीडियो कॉन्फेरेंस/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और सुदूर ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के लिए अधिकृत करने हेतु विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (ओं) के प्रमाणित नमूना हस्ताक्षर भेजना है। उक्त प्रस्ताव/प्राधिकरण ई-मेल के माध्यम से संवीक्षक को divya.dsmco@gmail.com पर और कंपनी को cs@hoclindia.com पर भेजा जाएगा।
5. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में मद सं 4 के संबंध में एक व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ जोड़ा गया है।
6. शेयरधारक कृपया कंपनी के रजिस्ट्रार तथा हस्तांतरण एजेंट बिगशेयर सर्विसेस प्रा लि ने दिनांक 27.06.2017 से अपने कार्यालय को निम्नानुसार नए पते में अंतरित किया है
बिगशेयर सर्विसेस प्रा लि, प्रथम तल, भारत टिन वर्क्स बिल्डिंग, वसंत ओयासिस के आगे, मकवाना रोड, मारोल, अंधेरी (पूर्व) मुंबई - 400 059 महाराष्ट्र, टेलीफोन : 022-62638200 फैक्स नं : 022-62638299
सदस्य आरटीए के साथ पत्राचार उनके ई मेल : investor@bigshareonline.com पर कर सकते हैं।
कंपनी [आरटीए के ज़रिए] नीचे उल्लिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं से संबंधित सूचना 59वीं एजीएम सूचना के साथ भेजी जा रही है:

महत्वपूर्ण जानकारी:

- i) सेबी के दिनांक 20 अप्रैल 2018 के परिपत्र सं सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/डीओपी1/सीआईआर/पी/2018/73 के अनुसरण में, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों जिनके फ़ोलियो में पैन और बैंक विवरण नहीं है/अपूर्ण हैं, को अनिवार्य रूप से कंपनी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) को पैन और बैंक संबंधी विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।
 - ii) सेबी के दिनांक 08 जून, 2018 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार 05 दिसंबर, 2018 के बाद भौतिक रूप में उपलब्ध शेयर स्थानांतरित नहीं किए जाएंगे। इसलिए, आपके हित में, यह सलाह दी जाती है कि आपके शेयरों को यथाशीघ्र डिमटेरियलाइज्ड रूप में प्राप्त करें।
7. शेयरधारकों से अनुरोध है कि कंपनी में पंजीकृत अपने पते में किसी प्रकार के परिवर्तन की सूचना तुरंत दें, अपने पैन, केवाईसी विवरण आरटीए [उपरोक्त नोट संख्या 6 के अनुसार है] को तत्काल उपलब्ध कराएं।

8. कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर हस्तांतरण बुक्स **बुधवार दिनांक 23 सितंबर, 2020 से सोमवार 28 सितंबर, 2020 तक (दोनों दिन मिलाकर)** कंपनी की एजीएम के उद्देश्य के लिए बंद रहेंगे।
9. अधिनियम की धारा 170 के तहत अनुरक्षित निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का रजिस्टर और उनकी शेयरधारिता, और अधिनियम की धारा 189 के तहत अनुरक्षित ठेके का रजिस्टर या व्यवस्था जिसमें निदेशक रुचि रखते हैं, एजीएम के दौरान सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध होगा। नोटिस में निर्दिष्ट सभी दस्तावेज बिना किसी शुल्क के सदस्यों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक निरीक्षण के लिए इस सूचना के परिचालन की तारीख से एजीएम की तारीख यानी 28-09-2020 (एजीएम की तारीख) तक भी उपलब्ध होंगे। सदस्य जो ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए corporate.cs@hoclindia.com; या cs@hoclindia.com (ई मेल आईडी) पर एक ईमेल भेज सकते हैं।
10. अधिनियम की धारा 108 जिसे संबंधित नियमों और सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सूची विनियमन") के विनियमन 44 के अनुपालन में, कंपनी ने अपने सदस्यों को केंद्रीय डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा प्रदान की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ("ई-वोटिंग") सुविधा के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने मतदान की सुविधा प्रदान की है। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले दूरस्थ ई-वोटिंग करके अपना मतदान किया है, वे एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन फिर से मतदान करने के हकदार नहीं होंगे। डिमैटरियालाइज्ड, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों द्वारा दूरस्थ रूप से मतदान करने का तरीका और जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उन्हें ई-वोटिंग सेक्शन के लिए निर्देश प्रदान किए गए हैं, जो इस नोटिस का हिस्सा है। बोर्ड ने सर्वश्री डी एस मोमाया एंड कंपनी (एफसीएस सं.7195), पेशेवर कंपनी सचिवों को संवीक्षक के रूप में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग की जांच करने के लिए नियुक्त किया है।
11. **ई-वोटिंग की अवधि बुधवार, 23 सितंबर, 2020 9.00 बजे (आईएसटी) से शुरू होती है और रविवार, 27 सितंबर, 2020 को शाम 5.00 बजे (आईएसटी) समाप्त होती है।** इस अवधि के दौरान, कट-ऑफ डेट के अनुसार, यानी 22-09-2020 (तारीख) को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने वोट डाल सकते हैं। इसके बाद सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। किसी सदस्य को किसी भी प्रस्ताव पर फिर से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिस पर पहले ही वोट डाला जा चुका है। सदस्यों के मतदान अधिकार निर्दिष्ट तारीख यानी 22-09-2020 (कट-ऑफ डेट) को कंपनी के प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी पर उनके शेयर के अनुपात में होंगे।
12. एजीएम के दौरान मतदान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। वीसी के माध्यम से एजीएम में उपस्थित सदस्य और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से रोक नहीं गया है, एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट करने के लिए पात्र होंगे।
13. कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयरों को प्राप्त करता है और नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तारीख को शेयर रखता है, को नीचे उल्लेखितानुसार ई वोटिंग के बराबर कार्यविधि का पालन करना चाहिए।
14. परिपत्रों के अनुपालन में, वार्षिक रिपोर्ट 2019-20, 59वीं एजीएम की सूचना और ई-वोटिंग के निर्देश केवल उन्हीं सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजे जा रहे हैं जिनके ईमेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी (यों) के साथ निर्दिष्ट तारीख 28-08-2020 के अनुसार पंजीकृत हैं)
15. हम सदस्यों से आग्रह करते हैं कि वे ईमेल के माध्यम से कंपनी की सूचना प्राप्त करने का चयन करके पर्यावरण संरक्षण के लिए हमारी प्रतिबद्धता का समर्थन करें। डिमैट मोड में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने ईमेल पते को पंजीकृत करें, और भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 की प्रतियां इलेक्ट्रॉनिक मोड में प्राप्त करने के लिए कंपनी के आरटीए, बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ investor@bigshareonline.com पर अपने ई मेल पते का अद्यतन करें।
16. सदस्य यह भी नोट कर सकते हैं कि 59 वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 कंपनी की वेबसाइट, <https://www.hoclindia.com/financial-year-wise-annual-reports> पर, स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध होगी।
17. यथा संशोधित सेबी के सूचीकरण विनियमों के विनियम 40 के अनुसार, सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियों को प्रतिभूतियों के प्रसारण या हस्तांतरण के लिए अनुरोध के मामले को छोड़कर, 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी रूप में केवल डिमैटरियालाइज्ड रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे देखते हुए और भौतिक शेयरों से जुड़े सभी जोखिमों को खत्म करने के लिए और पोर्टफोलियो प्रबंधन में सुगमता के लिए, भौतिक रूप में शेयरों को रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी

होलिडिंग को डीमैटरियालाइज्ड रूप में परिवर्तित करने पर विचार करें। सदस्य इस संबंध में सहायता के लिए कंपनी या कंपनी के रजिस्ट्रारों और ट्रांसफर एजेंटों, बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क कर सकते हैं।

18. सेबी ने प्रतिभूति बाजार में प्रत्येक भागीदार द्वारा स्थायी खाता संख्या (पैन) प्रदान करना अनिवार्य कर दिया है। इसलिए, इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य से अनुरोध करते हैं कि अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी को अपना पैन प्रदान करें। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को आरटीए यानि बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को अपना पैन विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है।
19. चूंकि एजीएम वीडियो कोन्फ्रेंस / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित किया जाएगा, इस नोटिस में रूट मैप संलग्न नहीं किया गया है।
20. इस एजीएम में पुनः नियुक्ति की मांग करने वाले निदेशक के संबंध में, सेबी सूचीकरण बाध्यता के विनियम 26(4) और 36(3) और भारत के इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई आम बैठक पर सचिवीय मानक के अनुसार संगत विवरण इसके साथ संलग्न है।

सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली - एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग

क. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा मतदान

1. जैसा कि आप जानते हैं, COVID-19 वैश्विक महामारी के कारण उत्पन्न होने वाली स्थिति को देखते हुए, कंपनियों की आम बैठकें कॉरपोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी दिनांक 8 अप्रैल, 2020 की परिपत्र संख्या 14/2020, दिनांक 13 अप्रैल, 2020 की परिपत्र संख्या.17/2020 और दिनांक 05 मई, 2020 की परिपत्र संख्या 20/2020 के दिशा-निर्देशों के अनुसार आयोजित किया जाएगा। आगामी एजीएम/ईजीएम इस प्रकार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य श्रव्य दृश्य साधनों के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। इसलिए, सदस्य वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आगामी एजीएम / ईजीएम में भाग ले सकते हैं।
2. कम्पनी आधिनियम 2013 की धारा 108 के प्रावधानों और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 20 के अनुपालन में और उसमें कोई संशोधन, आम बैठक पर साचिविक मानक (एसएस-2) और सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 (सूचीबद्ध नियम) के विनियम 44 के प्रावधानों एमसीए के दिनांक 08 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 और 05 मई, 2020 के परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी एजीएम/ईजीएम में किए जाने वाले कार्य के संबंध में अपने सदस्यों को दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। इस प्रयोजन के लिए, कंपनी ने अधिकृत ई-वोटिंग एजेंसी के रूप में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा के लिए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ एक समझौता किया है। दूरस्थ ई-वोटिंग के साथ-साथ ईजीएम/एजीएम की तारीख पर ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके सदस्य द्वारा वोट डालने की सुविधा सीडीएसएल द्वारा प्रदान की जाएगी।
3. सदस्य नोटिस में उल्लिखित कार्यविधि का पालन करके बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले वीसी/ओएवीएम मोड में ईजीएम/एजीएम में शामिल हो सकते हैं। ईजीएम/एजीएम में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भागीदारी की सुविधा पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर कम से कम 1000 सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बड़े शेयरधारक (2% या अधिक शेयर होलिडिंग वाले शेयरधारक), प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष, लेखा परीक्षकों आदि शामिल नहीं होंगे जिन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रतिबंध के बिना ईजीएम/एजीएम में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।
4. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम/ईजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम का पता लगाने के उद्देश्य से गिनानी जाएगी।
5. कॉरपोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए) के 08 अप्रैल, 2020 की परिपत्र संख्या 14/2020 के अनुसार, सदस्यों को मतदान के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने और उनके द्वारा वोट देने की सुविधा इस एजीएम/ईजीएम के लिए उपलब्ध नहीं है। हालांकि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 112 और धारा 113 के अनुसरण में, भारत के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल या निकाय निगम के अध्यक्ष के रूप में सदस्यों के प्रतिनिधि वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम/ईजीएम में भाग ले सकते हैं और ई-वोटिंग द्वारा अपने वोट डाल सकते हैं।
6. कॉरपोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी दिनांक 8 अप्रैल, 2020 की परिपत्र संख्या 14/2020, दिनांक 13 अप्रैल, 2020 की परिपत्र संख्या.17/2020 और दिनांक 05 मई, 2020 की परिपत्र संख्या 20/2020 के साथ पठित

कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसरण में एजीएम/ईजीएम को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बुलाया गया है।

शेयरधारकों को दूरस्थ ई-मतदान के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं:

- (i) मतदान की अवधि 23 सितम्बर, 2020 बुधवार सुबह 900 बजे (आईएसटी) से शुरू होकर 27 सितम्बर 2020 रविवार को सायं 500 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान कंपनी के शेयरधारी जो अंतिम तारीख 22 सितम्बर, 2020 तक कंपनी के शेयर भौतिक रूप में या डीमैट रूप में धारण करते हैं वे अपना मत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से डाल सकते हैं। उसके बाद वोट करने के लिए सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग मोड्यूल को बंद किया जाएगा।
- (ii) शेयरधारी जिन्होंने बैठक की तारीख के पहले ही अपना मतदान किया हो, बैठक केंद्र में मतदान करने के लिए हकदार नहीं है।
- (iii) ई वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉगिन करें।
- (iv) “शेयरहोल्डर्स” मॉड्यूल पर क्लिक करें।
- (v) अब अपना यूजर आईडी दर्ज करें
 - (क) सीडीएसएल के लिए: 16 डिजिट का बेनिफिशियरी आईडी,
 - (ख) एनएसडीएल के लिए: 8 कैरेक्टर डीपी आईडी और उसके बाद 8 डिजिट का क्लाइंट आईडी,
 - (ग) प्रत्यक्ष रूप से शेयर धारण करने वाले सदस्य कंपनी के पास पंजीकृत फोलियो नंबर एन्टर करें, या वैकल्पिक रूप से आपने सीडीएसएल के ईसी/ईसीएस्ट ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत किया है, आप <http://www.cdslindia.com> पर अपना लॉगिन प्रमाण उपयोग कर Login-Myeasi से लॉगिन कर सकते हैं। जब आप सीडीएसएल के ईसी/ईसीएस्ट ई-सेवाओं में सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, ई मतदान विकल्प पर क्लिक करें और आपका मतदान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करने के लिए सीधा आगे बढ़ें।
- (vi) आगे प्रदर्शित इमेज वेरिफिकेशन पर एन्टर करें और लॉगिन पर क्लिक करें।
- (vii) यदि आप डीमैटीकृत शेयर धारण करते हैं और www.evotingindia.com में लॉगिन किया गया है और किसी भी कंपनी का वोट इससे पहले किया गया हो तो आपके विद्यमान पासवर्ड का उपयोग किया जाना है।
- (viii) यदि आप पहली बार उपयोग कर रहे हैं तो नीचे दिये अनुदेशों का पालन करें।

	ऐसे सदस्यों के लिए जो शेयरों को डीमैट तथा भौतिक रूप में धारण करते हैं
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी आपके पैन का 10 डिजिट अल्फा न्यूमरिक एन्टर करें (डीमैट शेयर धारकों तथा प्रत्यक्ष शेयर धारकों दोनों के लिए लागू है) सदस्य जो जिन्होंने अपना पैन का कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ अद्यतन नहीं किया है, से अनुरोध है कंपनी /आरटीए द्वारा भेज दी गयी क्रमांक का उपयोग करें या कंपनी /आरटीए से संपर्क करें।
लाभांश बैंक विवरण या जन्मतिथि	लॉगिन करने के लिए अपना डीमैट खाता में दर्ज या कंपनी के रिकार्ड में दर्ज किए गए अनुसार लाभांश बैंक विवरण या जन्मतिथि (दिवस/मास/वर्ष फारमेट) में दर्ज करें। *यदि डिपॉजिटरी (निक्षेपागार) या कंपनी के साथ दोनों विवरण दर्ज नहीं किया गया है तो कृपया अनुदेश (V) में उल्लेखित अनुसार लाभांश बैंक विवरण क्षेत्र में सदस्य आईडी या फोलियो संख्या दें।

- (ix) इन विवरणों को उपयुक्त रूप में दर्ज करने के बाद “सबमिट” टैब क्लिक करें।
- (x) भौतिक रूप से शेयर धारण करने वाले शेयरधारक सीधे अपनी कंपनी चयन स्क्रीन पर पहुंचेंगे। फिर भी सदस्य जो डीमैट रूप में शेयर धारण करते हैं अब “पासवर्ड क्रिएशन” मेनू पर पहुंच जाएंगे। जहाँ उन्हें नए पासवर्ड क्षेत्र में अपना लॉगिन पासवर्ड अनिवार्य रूप से एंटर करना है। कृपया नोट करें कि इस पासवर्ड का उपयोग डीमैट धारक अन्य किसी कंपनी जहाँ उन्हें वोट करने की पात्रता हो, के संकल्प के लिए वोट करने के लिए किया जा सकता है। बशर्तें कंपनी सीडीएसएल प्लेटफार्म पर ई-वोटिंग चयन करते हो, यह सख्ती से सिफारिश की जाती है। आपका पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताएं और आपका पासवर्ड गोपनीय रूप से रखने में सबसे अधिक ध्यान दें।
- (xi) शेयरधारक जो भौतिक रूप से शेयर धारण करते हैं प्रस्तुत विवरणों का उपयोग केवल सूचना में निहित संकल्पों पर ई-वोटिंग के लिए किया जा सकता है।
- (xii) “हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड” के ईवीएसएन पर दबाएं जिस पर आप वोट करना चाहते हैं।
- (xiii) वोटिंग पृष्ठ पर आप “रिज्योलुशन डिस्क्लेशन” और उक्त के विरुद्ध वोटिंग के लिए विकल्प एस/नो/ देखेंगे। अपनी इच्छानुसार यस या नो विकल्प का चयन करें। विकल्प यस का आशय है कि आप संकल्प से सहमत हैं और नो का आशय है कि आप संकल्प से सहमत नहीं हैं।

- (xiv) यदि आप संपूर्ण रिजोलुशन विवरण देखना चाहे तो *रिजोलुशन फाइल लिंक* पर दबाएं।
- (xv) संकल्प चयन करने के बाद, आप वोट करना चाहते हैं, सबमिट पर क्लिक करें। पुष्टि करने संबंधी एक बाक्स दिखाई पड़ेगा, यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो ओके क्लिक करें अन्यथा आपके वोट में परिवर्तन करना है तो कैन्सल पर दबाएं और उसी प्रकार अपना वोट संशोधित करें।
- (xvi) संकल्प पर आपके वोट की पुष्टि होने के बाद आपके वोट पर संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (xvii) आप वोटिंग पृष्ठ पर दिए गए विकल्प *क्लिक हियर टू प्रिंट* दबाने पर अपने द्वारा किए गए वोट का प्रिंट ले सकते हैं।
- (xviii) यदि डीमैट खाता धारक परिवर्तित पासवर्ड भूल जाते हैं तो तब यूजर आईडी तथा इमेज वेरिफिकेशन कोड दबाएं और फॉरगेट पासवर्ड दबाएं तथा सिस्टम द्वारा मांगे गए विवरण प्रदान करें।
- (xix) शेयरधारक एनड्रायड आधारित मोबाइल्स के लिए उपलब्ध सीडीएसएल के मोबाइल ऐप "एम-वोटिंग" से भी अपना मतदान कर सकते हैं। गुगल प्ले स्टोर से एम वोटिंग ऐप डाउनलोड किया जा सकता है। कृपया अपने मोबाइल पर वोटिंग करते समय मोबाइल ऐप से आने वाले अनुदेशों का अनुसरण करें।
- (xx) शेयर धारक/सदस्य जिन्होंने वार्षिक आम बैठक के पहले "रिमोट ई-वोटिंग" द्वारा अपने मतदान का प्रयोग किया है, वार्षिक आम बैठक में भाग ले सकते हैं और वार्षिक आम बैठक में दुबारा मत देने के लिए हकदार नहीं है।
- (xxi) रिमोट ई-वोटिंग वार्षिक आम सभा की तारीख के पूर्व दिन (27.09.2020) सायं 5 00 बजे समाप्त होगा।
- (xxii) सर्वश्री डी एस मोमाया एंड कंपनी(एफसीएस सं 7195), पेशेवर कंपनी सचिवों को कंपनी के सदस्यों/ शेयरधारकों को वोटिंग की संवीक्षा करने और ई-वोटिंग प्रक्रिया को उचित एवं पारदर्शी तरीके से करने के लिए कंपनी के संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

(xxiii) गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों और संरक्षकों के लिए नोट

- गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों (अर्थात व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरई आदि को छोड़कर) को www.evotingindia.com लागूआन तथा अपने को "कॉर्पोरेट" के रूप में पंजीकृत करने की अपेक्षा है।
- उन्हें पंजीकरण प्रपत्र जिसमें संस्था की मोहर और हस्ताक्षर हो, की स्कैन की गई प्रति helpdesk.evoting@cdslindia.com को ई-मेल करें।
- लॉगिन विवरण प्राप्त होने के बाद उन्हें एडमिन लॉगिन और पासवर्ड का उपयोग कर एक अनुपालन उपयोगकर्ता का सृजन किया जाना है। अनुपालन उपयोगकर्ता उस यूजर खाते जिसपर वे वोट करना चाहते हैं को जोड़ने में सक्षम हो जाएंगे।
- लॉगिन से जुड़े खातों की सूची को helpdesk.evoting@cdslindia.com को ई-मेल करना चाहिए और खातों के अनुमोदन करने के बाद वे अपना मतदान कर सकेंगे।
- बोर्ड संकल्प और पावर ऑफ एटोर्नी जिनको उन्होंने संरक्षक के पक्ष में जारी किया है, का स्कैन की गई प्रति यदि कोई हो तो, सिस्टम में पीडीएफ फारमेट में संवीक्षक को उक्त की जांच के लिए अपलोड किया जाना चाहिए।
- वैकल्पिक रूप से गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों को संगत बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार पत्र आदि के स्कैन की गई प्रति पीडीएफ/जेपीजी फारमेट में विधिवत प्राधिकृत अधिकारियों जिन्हें वोट करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, के साक्ष्यकित नमूना हस्ताक्षर सहित संवीक्षक को (divya.dsmco@gmail.com) में ई-मेल और कंपनी को cs@hoclindia.com/corporate.cs@hoclindia.com में भेजने की आवश्यकता है, यदि उन्होंने व्यक्तिगत टैब से वोट किया है और सीडीएसएल ई वोटिंग प्रणाली में संवीक्षक के लिए उक्त की जांच के लिए अपलोड नहीं किया है।

यदि आपको एजीएम में भाग लेने और ई-वोटिंग प्रणाली से ई-वोटिंग के संबंध में किसी प्रकार के प्रश्न और समस्या हो तो आप बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और हेल्प सेक्शन के तहत www.evotingindia.com में उपलब्ध ई-वोटिंग मैनुअल को देखें या helpdesk.evoting@cdslindia.com को ई-मेल भेजें या श्री नितिन कुंदर (022-23058738) या श्री महबूब लखानी (022-23058543) या श्री राकेश दल्वी (022-23058542) से संपर्क करें।

(ख) सूचना में प्रस्तुत संकल्पों के लिए ई-वोटिंग करने के लिए लॉगिन प्रमाण प्राप्त करने हेतु डिपॉजिटरीस के साथ अपना ई मेल पता पंजीकृत नहीं किए गए उन शेयरधारकों के लिए कार्यविधि :

1. भौतिक शेयरधारकों के लिए- कृपया आवश्यक विवरण जैसे कि फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई कॉपी (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्वसत्यापित स्कैन कॉपी), आधार (आधार की स्वसत्यापित स्कैन की गई प्रति) कार्ड) कंपनी/आरटीए के ईमेल आईडी पर प्रदान करें।

2. डीमैट शेयरधारकों के लिए-कृपया डीमैट खाता विवरण (सीडीएसएल-16 अंकों की लाभार्थी आईडी या एनएसडीएल -16 अंक डीपीआईडी + सीएलआईडी), नाम, ग्राहक मास्टर या समेकित लेखा विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्वसत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वसत्यापित स्कैन की प्रति)/कंपनी/आरटीए के ईमेल आईडी पर प्रदान करें।

उन सदस्यों के संबंध में जो ई-मेल/प्रत्यक्ष प्रति प्राप्त कर रहे हैं:

- (क) मतदान की अवधि 23 सितम्बर, 2020 बुधवार सुबह 9 00 बजे(आईएसटी) से शुरू होकर 27 सितम्बर 2020 रविवार को सायं 500 बजे(आईएसटी) समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान कंपनी के शेयरधारी जो 22 सितम्बर, 2020 तक कंपनी के शेयर भौतिक रूप में या डीमैट रूप में धारण करते हैं वे अपना मत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से डाल सकते हैं। उसके बाद वोट करने के लिए सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग मोड्यूल बंद किया जाएगा।
- (ख) कोई व्यक्ति जो कंपनी का शेयर प्राप्त करता है और 28 अगस्त 2020 अर्थात सूचना प्रेषित करने की तारीख और अंतिम तारीख 22 सितम्बर, 2020 को शेयर धारण करते हैं, के बाद कंपनी के शेयरधारक बनते हैं और अपना पैन अद्यतन नहीं किया है, लॉगिन आईडी और अनुक्रम संख्या ई-मेल आईडी investor@bigshareonline.com को आवेदन भेजकर प्राप्त कर सकते हैं।

ग. वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के सदस्यों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

1. शेयरधारक को सीडीएसएल ई-वोट प्रणाली के माध्यम से वीसी / ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम / एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। शेयरधारक दूरस्थ ई-वोटिंग क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके शेयरधारकों / सदस्यों लॉगिन के तहत <https://www.evotingindia.com> पर इसे प्राप्त कर सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्यों लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां कंपनी का ईवीएसएन प्रदर्शित किया जाएगा।
2. शेयरधारकों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप / आईपैड के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
3. आगे, बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए शेयरधारकों को कैमरा की अनुमति और अच्छी स्पीड के साथ इंटरनेट का उपयोग करने की आवश्यकता होगी।
4. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल उपकरणों या टैबलेट्स से या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से जुड़ने वाले लैपटॉप प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में विचलन के कारण ऑडियो/वीडियो की हानि का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार के उपरोक्त गड़बड़ियाँ (ग्लिच) को कम करने के लिए स्थायी वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।
5. शेयरधारक जो बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं/प्रश्न करना चाहते हैं, कम से कम बैठक के 14 दिन पहले अनुरोध भेजकर अपने को एक वक्ता के रूप में पंजीकृत करें। इसके लिए उनके नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए का अनुरोध कंपनी ईमेल आईडी पर भेजें। जिन शेयरधारकों को एजीएम के दौरान बोलने की इच्छा नहीं है, लेकिन पूछताछ है तो अपनी पूछताछ उनके नाम, डीमैट खाता संख्या/ फोलियो नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर (कंपनी ईमेल आईडी) का उल्लेख कर बैठक से 14 दिन पहले कंपनी के ईमेल आईडी में भेजा जा सकता है। इन प्रश्नों का उत्तर कंपनी द्वारा ईमेल द्वारा उपयुक्त रूप से दिया जाएगा।
6. जिन शेयरधारकों ने खुद को एक वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, केवल उन्हें बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करने / प्रश्न करने की अनुमति दी जाएगी।

घ. एजीएम/ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिए शेयरधारकों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं: -

1. ईजीएम/एजीएम के दिन ई-वोटिंग की कार्यविधि रिमोट ई-वोटिंग के लिए ऊपर बताए गए निर्देशों के समान है।
2. केवल ऐसे शेयरधारक, जो ईजीएम / एजीएम में वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से उपस्थित हैं और उन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से रोक नहीं है, को ईजीएम / एजीएम के दौरान उपलब्ध ई मतदान प्रणाली के माध्यम से वोट करने के लिए पात्र होंगे।
3. यदि ईजीएम/एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग के माध्यम से शेयरधारकों द्वारा कोई वोट दिया जाता है और अगर वही शेयरधारकों ने वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से बैठक में भाग नहीं लिया है, तो ऐसे शेयरधारकों द्वारा डाले गए वोटों को अमान्य माना जाएगा। बैठक के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा केवल बैठक में भाग लेने वाले शेयरधारकों के लिए उपलब्ध है।
4. जिन शेयरधारकों ने दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है, वे ईजीएम/एजीएम में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। हालांकि, वे ईजीएम/एजीएम में वोट करने के पात्र नहीं होंगे।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान की सुविधा से जुड़ी सभी शिकायतों को श्री राकेश दलवी, प्रबंधक, (सीडीएसएल), सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25 वीं मंजिल, मैराथन फ्यूजनएक्स, मफतलाल मिल कम्पाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई - 400013 को संबोधित किया जा सकता है या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल भेजें या 022-23058542/43 पर कॉल करें।

“परिणाम की घोषणा”

- (1) संवीक्षक, वार्षिक आम बैठक समाप्त होने के बाद, संकल्प के पक्ष या विरुद्ध किए गए कुल मतदानों और अमान्य वोटों की समेकित संवीक्षकों की रिपोर्ट (अर्थात रिमोट ई-वोटिंग के ज़रिए किए गए मतदान और एजीएम के दौरान किए गए ई-वोटिंग) और एजीएम के अध्यक्ष या कंपनी के अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को प्रस्तुत करेगा।
- (2) संवीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, कंपनी एजीएम समाप्त होने के 48 घंटे के भीतर मतदान परिणामों के ब्यौरे जैसा कि सूचीबद्ध विनियम के विनियम 44(3) के तहत यथा अपेक्षित है, स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत किया जाएगा।
- (3) घोषित परिणाम संवीक्षकों की रिपोर्ट के साथ कंपनी की वेबसाइट www.hoclindia.com और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर प्रकाशित किया जाएगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण

सूचना की मद सं 4

कंपनी अधिनियम 2013 (“अधिनियम”) की धारा 148 और कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली 2014 (“नियम”) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को उपरोक्त धारा के अनुसरण में जारी नियमों के अधीन निर्धारित उत्पादों और सेवाओं के लिए कंपनी के लागत अभिलेखों की लेखापरीक्षा के लिए लागत लेखापरीक्षकों को नियुक्त करने की आवश्यकता है।

कॉरपोरेट मामले मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 16.12.2010 के जीओआई आदेश संख्या 5/115/सीएबी-2010 संदर्भ में कोची यूनिट द्वारा निर्मित तीन उत्पादों के लिए लागत लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 से उक्त आदेश के अनुसार लागू की गई थी। ऊपर उल्लिखित आदेश के अनुसार, हर वित्तीय वर्ष के लिए लागत लेखा परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। कंपनी के निदेशक मण्डल ने दिनांक 26-06-2020 को सम्पन्न अपनी बैठक में कंपनी के लागत लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा के लिए और तत्संबंधी अनुपालन प्रमाणपत्र (त्रों) को जारी करने और लागत लेखापरीक्षा के लिए समेकित शुल्क ₹ 50,000/- में वर्ष 2020-21 के लिए लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट देने, अनुपालन प्रमाण पत्र/ डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र आदि जारी करने के लिए और कोची यूनिट के उत्पादों के संबंध में और कंपनी के लिए लागू वास्तविक आंकड़े में कर संबंधी एक्सबीआरएल ई-फोर्म्स से संबन्धित लागत लेखापरीक्षा रिपोर्टों के ई-फाइल कार्य में मदद के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के लागत लेखा परीक्षकों के रूप में एमएसएमई में पंजीकृत फर्म, सर्वश्री सी वाई एंड एसोसिएट्स, लागत लेखा परीक्षक, मुंबई (फर्म पंजीकरण नं.000334) को नियुक्त करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।

सर्वश्री सी वाई एसोसिएट्स, लागत लेखाकार ने अधिनियम की धारा 148 के प्रावधानों, उसपर बनाए गए नियमों के साथ पढ़ा जाए, के अनुसार कंपनी के लागत लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए उनकी पात्रता के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं। आगे कंपनी के शेयरधारकों द्वारा लागत लेखा परीक्षक को देय पारिश्रमिक की अनुसमर्थन किया जाना चाहिए। तदनुसार, इस मद में दिए गए उद्देश्य के लिए सदस्यों की सहमति की प्रार्थना की जाती है।

निदेशक मंडल शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए इस प्रस्ताव की सिफारिश करते हैं।

कंपनी के किसी निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदारों में से कोई भी व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत क्षमता में रखे गए शेयरों की सीमा को छोड़कर मद 5 में निर्धारित संकल्प से संबंधित नहीं है या उसमें रुचि नहीं रखते हैं।

हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के
बोर्ड के आदेश द्वारा

हस्त/-

(सुशीला एस कुलकर्णी)
कंपनी सचिव
(एफसीएस 5145)

स्थान:सीबीडीबेलापुर
दिनांक:13/08/2020

पंजीकृत कार्यालय

401,402,403,चौथा तल, वी टाइम्स स्क्वेयर प्लॉट सं 3

सेक्टर 15,सीबीडी बेलापुर, नवीं मुंबई, ठाणे महाराष्ट्र 400614 भारत

**अनुबंध-सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 26 (4) और 36 (3) के अनुपालन में विवरण
वार्षिक आम बैठक में पुनः नियुक्ति की मांग करने वाले निदेशक का विवरण**

विवरण	सुश्री अल्का तिवारी
आयु	55 वर्ष
नियुक्ति की तारीख	29/01/2019
योग्यताएं	<ol style="list-style-type: none"> 1. मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर,, 2. एलएलबी, एमएससी. (परियोजना प्रबंधन) 3. अपर सचिव & वित्तीय सलहकार, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
विशिष्ट कार्य क्षेत्रों में विशेषज्ञता	आप झारखंड कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी हैं। आपने झारखंड राज्य में ग्रामीण विकास, वित्त, कराधान और वन और पर्यावरण के क्षेत्र में काम किया है। आपने वित्तीय संसाधनों और शिक्षा क्षेत्रों संबंधित नीति आयोग के सलाहकार के रूप में काम किया है। वर्तमान में आप रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार (ए एस एंड एफ ए) के रूप में काम कर रही हैं।
अन्य कंपनियों में निदेशक का पद	<ol style="list-style-type: none"> 1. फर्टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड 2. राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड
कंपनी में शेयरधारिता	शून्य

(अन्य विवरणों जैसे कि वर्ष के दौरान भाग लिए गए बोर्ड की बैठकों की संख्या, लिए गए पारिश्रमिक और उपरोक्त निदेशकों के संबंध में अन्य निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के साथ संबंध, के लिए कृपया कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट को देखें जो इस वार्षिक रिपोर्ट का एक हिस्सा है)

हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के
बोर्ड के आदेश द्वारा

हस्त/-

(सुशीला एस कुलकर्णी)

कंपनी सचिव

(एफसीएस 5145)

स्थान: सीबीडी बेलापुर

दिनांक: 13/08/2020

पंजीकृत कार्यालय

401,402,403, चौथा तल, वी टाइम्स स्क्वेयर प्लॉट सं 3

सेक्टर 15, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई, ठाणे महाराष्ट्र 400614 भारत